विवरण 2क

ब.अ. 2023-24 और सं.अ. 2023-24 के बीच व्यय के बड़े अंतरों का विवरण

वर्ष 2023-24 के लिए व्यय का संशोधित अनुमान बजट अनुमान 2023-24 की तुलना में ` 12,611करोड़ की कमी दर्शाता है। व्यय के जिन प्रमुख मदों, में परिवर्तन हुआ हैं, वे निम्नवत दर्शाई गई हैं:-

(` BÉE®É½ àÉ)

		बजट 2023-24	संशोधित 2023-24	अन्तर कमी(-)/ वृद्धि(+)
1	ग्रामीण रोजगार	60000	86000	(+) 26000
2	शिक्षा	53917	79768	(+) 25851
3	रक्षा सेवाएं (पूंजी परिव्यय सहित)	432720	455897	(+) 23177
4	फसल खेती	115379	137415	(+) 22036
5	खाद्य भंडारण और भंडारागार	200682	214781	(+) 14099
6	परिवहन	9271	22522	(+) 13251
7	विदेश कार्य	9931	20824	(+) 10893
8	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	659736	590531	(-) 69205
9	पेट्रोलियम के लिए पूंजीगत परिव्यय	35508	40	(-) 35468
10	ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती	1079971	1055427	(-) 24544
11	अन्य व्यय	1845982	1827281	(-) 18701
	कुल व्यय	**4503097**	**4490486**	**(-) 12611**

के कारण

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अधिक आवश्यकता।
2. माध्यमिक उच्चतर शिक्षा कोष, जोकि मुख्य रुप से लोक लेखा में एक आरक्षित निधि है, और विश्वविधालय अनुदान आयोग और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अधिक अनुदान।
3. सैन्य बलों के राजस्व व्यय की आवश्यकता में वृद्धि।
4. देशी और आयातित ऊर्वरकों पर पोषक आधारित सब्सिडी के लिए आवंटन में वृद्धि।
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों के वितरण तथा राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों के विकेंद्रीकृत प्रापण के अंतर्गत खाद्यान्न सब्सिडी के लिए प्रमुख रुप से उच्चतर प्रावधान।
6. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम के लिए कृषि अवसंरचना और विकास निधि के लिए अपेक्षाकृत अधिक अंतरण।
7. अन्य देशों को दिए गए ऋणों जिन्हें संदिग्ध ऋण माना जाता है, के लिए भारत सरकार की गारंटियां लागू करने के प्रति एक्जिम बैंक को प्रदान की जाने वाली निधियों में वृद्धि। इसे गारंटी प्रतिदान निधि से पूरा किया गया है।
8. प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण और शहरी घटकों और स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए अपेक्षाकृत कम आवश्यकताएं।
9. तेल विपणन कंपनियों को पूंजी सहायता और कार्यनीतिगत कच्चे तेल भंडार के लिए आबंटन में कमी।
10. बाजार ऋणों, नकदी प्रबंधन बिल्स, क्षतिपूर्ति और अन्य बांड्स पर ब्याज के भुगतान के लिए आवश्कता में कमी।